

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1693 / 2016 / प्रतापगढ़.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वार्ड—द्वितीय, प्रतापगढ़.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स घाटलिया ट्रेडर्स, धरियावद, प्रतापगढ़.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 11 / 09 / 2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के प्रकरण संख्या 05/वेट/15-16/प्रतापगढ़ में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.01.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 29.09.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2012-13 के प्रथम, तृतीय व चतुर्थ तिमाही के रिटर्न विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 4.2.2015 से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क रूपये 10,850/- का आरोपण किया गया। उक्त आदेश के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया संशोधन प्रार्थना-पत्र भी दिनांक 29.9.2015 को अस्वीकार किया गया। उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विलम्ब शुल्क रूपये 2,000/- की पुष्टि करते हुए शेष राशि अपास्त किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।
3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2012-13 के बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से क्रमशः दिनांक 21.10.2012, 30.12.2014 व 30.12.2014 को प्रस्तुत किये जाने के आधार पर विलम्ब शुल्क का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 30.12.2014 को प्रचलित विधि अनुसार विलम्ब शुल्क का आरोपण उचित था। अपीलीय अधिकारी द्वारा रूपये 2,000/- की सीमा तक पुष्टि करते हुए शेष राशि अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

लगातार.....2

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः विद्वान् उप-राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

5. हस्तगत प्रकरण वर्ष 2012-13 से है, जिसके बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से क्रमशः दिनांक 21.10.2012, 30.12.2014 व 30.12.2014 को प्रस्तुत किये गये हैं। दिनांक 01.04.2012 से 13.03.2013 के मध्य नियम 19ए के प्रचलित प्रावधान निम्न प्रकार थे :-

**Rule 19A** - where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee of :

(i) rupees one hundred per day subject to a maximum of rupees fifty thousand in case the dealer is required to pay tax for each month or part thereof under section 20 of the Act; and

(ii) rupees fifty per day subject to a maximum of rupees five thousand, in all other cases.

6. उक्त प्रावधानों के अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी को नियम 19ए की पालना में विहित लेट फीस का भुगतान करना है। नियम 19ए के उक्त प्रावधानों के अनुसार मासिक करदाता की श्रेणी में होने पर यह लेटफीस अधिकतम रूपये 50,000/- होगी तथा मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं होने पर लेट फीस अधिकतम रूपये 5000/- होगी। हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं मानते हुए लेटफीस का आरोपण किया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी नियम 19ए(ii) के तहत विलम्ब शुल्क का दायी है, जिसमें अधिकतम रूपये 5,000/- विलम्ब शुल्क का आरोपण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रूपये 10,850/- का आरोपण किये जाने कोई त्रुटि नहीं की गयी है, जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा इसकी 2,000/- की सीमा तक पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

7. उपरोक्त विवेचन अनुसार कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है एवं अपीलीय आदेश अपास्त किया जाता है।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

( मदन लाल मालवीय )  
सदस्य